

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर।

क्रमांक: एफ 5(4)/सम./डीईएस/टाईम्स/ 67698

दिनांक: 21/4/2017

उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
जिला।
समेरन

विषय:— वर्ष 2017-18 के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के लक्ष्य एवं क्रियान्विति राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

संदर्भ:— आयोजना विभाग के आदेश क्रमांक: 5(4)/सम./डीईएस/टाईम्स/2015/10607 दिनांक 23/3/2015 (प्रति संलग्न)

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के दौर, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे, जिसके अनुसार उप/सहायक निदेशक (जिला स्तरीय) को माह में एक-एक एवं ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को माह में 2-2 दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

वर्ष 2017-18 के लिए भी उपरोक्तानुसार ही लक्ष्यों के अनुरूप दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम किये जाने हैं। प्रत्येक माह में की जाने वाली यात्राओं के प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम को आप अपनी SSO-ID के माध्यम से सम्पर्क पोर्टल पर सर्वप्रथम Tour → Shedule Tour में तथा यात्रा उपरान्त वास्तविक यात्रा को Tour → Inspection में दिये गये Format में Upload की जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं एवं अपने अधिनस्थ ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना करवाते हुए लक्ष्यों के अनुरूप मासिक उपलब्धियों सुनिश्चित करावें।

उक्त संबंध में किसी भी समस्या के निवारण हेतु निदेशालय के निम्न कर्मियों से सम्पर्क कर सकते हैं:—

- सम्पर्क पोर्टल नहीं खुलने, SSO-ID एवं Password के संदर्भ में श्री छीतर लाल जांगिड, संगणक एच.आर. शाखा से मो.नं. 9460989961 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम संबन्धित सूचनाओं के सम्पर्क पोर्टल पर Upload सम्बन्धी समस्याओं के निवारण के संदर्भ में श्री विपिन बिहारी शर्मा, सां.निरीक्षक, समन्वय शाखा से 0141-5167115 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।


संयुक्त निदेशक (समन्वय)

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर।

क्रमांक: एफ 5(4)/सम./डीईएस/टाइम्स/67700

दिनांक: 21/4/2017

ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी (समस्त)
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

विषय:— वर्ष 2017-18 के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के लक्ष्य एवं क्रियान्विति राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।

संदर्भ:— आयोजना विभाग के आदेश क्रमांक: 5(4)/सम./डीईएस/टाइम्स/2015/10607 दिनांक 23/3/2015(प्रति संलग्न)

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे, जिसके अनुसार ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारियों को माह में 2-2 दौरा, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।


वर्ष 2017-18 के लिए भी उपरोक्तानुसार ही लक्ष्यों के अनुरूप दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम किये जाने हैं। प्रत्येक माह में की जाने वाली यात्राओं के प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम को आप अपनी SSO-ID के माध्यम से सम्पर्क पोर्टल पर सर्वप्रथम Tour → Shedule Tour में तथा यात्रा उपरान्त वास्तविक यात्रा को Tour → Inspection में दिये गये Format में Upload की जानी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए लक्ष्यों के अनुरूप मासिक उपलब्धियों सुनिश्चित करें।

उक्त संबंध में किसी भी समस्या के निवारण हेतु निदेशालय के निम्न कर्मियों से सम्पर्क कर सकते हैं:—

- सम्पर्क पोर्टल नहीं खुलने, SSO-ID एवं Password के संदर्भ में श्री छीतर लाल जांगिड, संगणक एच.आर. शाखा से मो.नं. 9460989961 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम संबंधित सूचनाओं के सम्पर्क पोर्टल पर Upload सम्बन्धी समस्याओं के निवारण के संदर्भ में श्री विपिन बिहारी शर्मा, सां.निरीक्षक, समन्वय शाखा से 0141-5167115 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।


संयुक्त निदेशक (समन्वय)

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक: 5 (4) / सम / डीईएस / टाइम्स / 2015 \ 6 607

जयपुर दिनांक: 23/3/2015

आदेश


विषय:-- विभिन्न स्तर पर किए जाने वाले निरीक्षण, दौरे, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण ।

आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित समाधान एवं निराकरण के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(8)प्र सु/टाइम्स/2013 जयपुर दिनांक 24 दिसम्बर 2014 की अनुपालना में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण, दौरे एवं रात्रि विश्राम के मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं:--

क्र. सं.	पद नाम	दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम	
		मासिक	वार्षिक
1	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	2 माह में एक बार	6
2	संयुक्त निदेशक	2 माह में एक बार	6
3	उप निदेशक (मुख्यालय)	2 माह में एक बार	6
4	सहायक निदेशक(मुख्यालय)	2 माह में एक बार	6
5	उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (जिला स्तरीय)	1 माह में एक बार	12
6	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी	1 माह में दो बार	24

उपरोक्त निरीक्षण के अलावा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय का वर्ष में 1 बार एवं अन्य कार्यालय अध्यक्ष/अनुभाग अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों अथवा अनुभाग का वर्ष में 2 बार निरीक्षण करेंगे । निरीक्षण संबंधि दिशा निर्देश परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(8)प्र सु/टाइम्स/2013 जयपुर दिनांक 24 दिसम्बर 2014 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की पालना सुनिश्चित करें ।


(अखिल असेरा)

शासन सचिव, आयोजना

4

(ब) जिला स्तरीय / ब्लाक स्तरीय / सांख्यिकी अधिकारियों के लिए निरीक्षण निर्देश

1. फसल सांख्यिकी सुधार योजना प्रत्येक मौसम (खरीफ, रबी व जायद रबी) में एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा एक ग्राम का निरीक्षण करेंगे।
2. फसल कटाई प्रयोग, में एक मौसम में दो (एच.एस.आई.) प्रयोग या प्रयोगों का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, का निरीक्षण करना।
3. जी.सी.ई.एस योजना में फसल कटाई प्रयोग खरीफ एवं रबी मौसम में चिन्हित ग्रामों (राजस्व मण्डल द्वारा सूचित) का निरीक्षण।
4. जीवनांक के तहत वर्ष में जिले की दो नगर पालिकाओं तथा चार पंचायत समितियों का एवं आठ ग्राम पंचायतों का निरीक्षण (एक दिन में नगर पालिका, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों में से 2 इकाईयों का निरीक्षण करना अनिवार्य है) करना।
5. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत एक उपसत्र में एक क्षेत्र निरीक्षक के एक प्रतिदर्श का निरीक्षण एवं मुख्यालय के शहरी प्रतिदर्श का शत-प्रतिशत निरीक्षण करेंगे।
6. खुदरा/थोक मूल्यों के साप्ताहिक भावों की माह में कम से कम एक बार बाजार में व्यक्तिगत निरीक्षण कर जांच/समीक्षा करेंगे।
7. आदेशानुसार समय-समय पर अन्य सर्वेक्षणों का निरीक्षण एवं क्षेत्रीय कार्य किए जावें। निरीक्षण व दौरों के समय जिला सांख्यिकी अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि जब वे दौरे पर जावें तो उस क्षेत्र में चल रहे समस्त कार्यों के साथ ही भागाशाह योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा एवं निरीक्षण करेंगे। एक ही स्थान पर अलग-अलग कार्यों के लिए बार-बार नहीं जायेंगे।
8. कर्मचारियों की उपस्थिति व समय की पाबन्दी का नियमित व आकस्मिक निरीक्षण करना।
9. कार्यालयों में कार्य प्रणाली यथा: आवक-जावक पत्रों का समय पर निस्तारण, जन सामान्य की सेवाओं का संधारण व निस्तारण, कार्मिकों के बैठने की व्यवस्था, भवन की स्थिति एवं सफाई, विद्युत आदि का पुरूपयोग रोकना, स्टोर में रखे सामान का रख-रखाव, अभिलेखों का रख-रखाव एवं अनुपयोगी सामान का निस्तारण, बजट की स्थिति, की समीक्षा एवं निरीक्षण इत्यादि करना।
10. भ्रमण, निरीक्षण व विभाग की जनता से जुड़ी हुई योजना यथा: भागाशाह, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एवं सूचना के अधिकार अधिनियम इत्यादि की जन सुनवाई व परिवादों का निस्तारण का नियमित रूप से निरीक्षण करना तथा भ्रमण, निरीक्षण, जन सुनवाई एवं रात्रि विश्राम का समय-समय पर राज सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज करने की समीक्षा करना।
11. जन सामान्य व आवेदकों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का पारदर्शिकरण व प्रक्रिया का सरलीकरण यथा: शपथ पत्र के स्थान पर स्वप्रमाणिकरण की व्यवस्था करना, कार्यक्रमों व सेवाओं के आनलाईन किए जाने की प्रगति की समीक्षा करना।

